## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
## जिला जोधपुर कैम्प कोर्ट बाला

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 12/2021

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादीगण** |
|---|---|---|
| ढगलाराम पुत्र स्व. मोतीराम<br>जाति सीरवी निवासी ग्राम<br>बाला तहसील बिलाड़ा<br>जिला जोधपुर | | राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार बिलाड़ा |

### दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

**निर्णय** **दिनांक :—** 27.10.2021

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 733 रकबा 2.2086 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 765 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.6082 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी की खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 765, 764 व 733 वादी द्वारा क्रमशः जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.06.1974 को विक्रेता नेथीराम पुत्र गिरधारी जाति सीरवी बर्फा निवासी बाला, जरिये बैचान दिनांक 10.06.1966 को विक्रेता गोपीया वल्द पाबू जाट व जरिये बैचान दिनांक 19.11.1964 को विक्रेता दईड़ा वल्द हरींग जाट वालों से खरीद की तथा उक्त समस्त बैचाननामो में लिखावटकर्ता द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश वादी के पिता मोतीराम के स्थान पर वादी के पिता का नाम केसाराम लिख दिया जबकि केसाराम वादी के पिता के भाई है व वादी के बड़े पिता है। बैचाननामो के अनुसार ही म्यूटेशन संख्या 264, 91 व 79 स्वीकृत किये गये तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी बैचाननामो के अनुसार वादी का नाम व उसके पिता का नाम दर्ज किया गया। उक्त लिपिकीय त्रुटी की वादी को प्रथम बार जानकारी हाल ही में वादग्रस्त कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु चालु जमाबन्दी की नकल दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त करने पर हुई। उसके पूर्व वादी को उक्त लिपिकीय त्रुटी की जानकारी नही थी। बैचाननामो के अनुसार ही आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम केसाराम गलत दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी के पिता [illegible] नाम मोतीराम है। जिसके संबंध में वजह सबूत वादी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:59 IST
Reason: SelfAttested

भारतीय स्टेट बैंक की खाता डायरी व ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि सरकारी दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेज में वादी के पिता का सही नाम मोतीराम दर्ज है। वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसके पिता के दर्ज गलत नाम केसाराम के कारण वादी किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा व ऋण इत्यादि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्राप्त नही कर पा रहा है। क्योकि सरकारी सुविधाओं को व ऋण इत्यादि को प्रदान करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेजात सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांगे जाते है तथा उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेज में दर्ज वादी के पिता का दर्ज नाम मोतीराम व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम केसाराम एक समान नही है व न ही आपस में मिलान करता है। वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने पिता का गलत नाम केसाराम पर सही नाम मोतीराम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के पास दिनांक 18.08.2020 को गया तो प्रतिवादी ने रेकर्ड दुरूस्ती करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि रेकर्ड दुरूस्ती हेतु श्रीमान सक्षम है। इसके अलावा विक्रेता नेथीराम, दईडा व गोपीया का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये बैचाननामो में हुई लिपिकीय त्रुटी को उप पंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में शुद्धी करवाना भी असंभव है। क्योकि शुद्धी के लिए बैचाननामो में लिखित विक्रेता व क्रेता दोनो का उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। वादी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज उसके पिता का गलत नाम केसाराम के स्थान पर सही नाम मोतीराम दूरूस्त व घोषित करवाना चाहता है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा राजस्व ग्राम बाला में खसरा संख्या 1276, 659, 701/1, 738 की भूमि आयी हुयी है व वादी व अन्य सहखातेदार ओमप्रकाश, गुटकी, नारायणीदेवी, पानीदेवी व भंवरीदेवी के नाम से दर्ज है। नारायणीदेवी, पानीदेवी व भंवरीदेवी वादी की बहने है। उपरोक्त खसरान की भूमि में भी वादी के पिता का नाम मोतीराम दर्ज है। वादी के पिता मोतीराम व केसाराम खुमाराम जी के पुत्र थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के पिता मोतीराम व केसाराम, खुमाराम जी के पुत्र होने के संबंध में खसरा संख्या 1255 ग्राम बाला की चालु जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। वादकारण दिनांक 15.06.1974, 10.06.1966 व 19.11.1964 को किये गये समस्त बैचाननामो में लिपिकीय त्रुटिवश वादी के पिता का सही नाम मोतीराम के स्थान पर केसाराम लिखने से उसके बाद उक्त बैचाननामो के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 264, 91 व 79 द्वारा बैचाननामो के अनुरूप राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किये जाने से तथा दिनांक 18.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का मना करने से ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:59 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 733 रकबा 2.2086 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 765 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.6082 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का गलत नाम केसाराम के स्थान पर सही नाम मोतीराम दूरूस्त व घोषित किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 733 रकबा 2.2086 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 765 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.6082 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी की खरीदसुदा कब्जाकाश्त की भूमि है। पद संख्या 2 से 5 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 6 व 7 कानूनी है। वादी की इस्तदुआ है कि राजस्व ग्राम बाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 733 रकबा 2.2086 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 765 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.6082 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का गलत नाम केसाराम के स्थान पर मोतीराम किया जाता है तो इसमें भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बाला में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात व साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस मुर्करर की गयी। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के साथ दस्तावेजी प्रमाण के रूप में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 733, 764, 765 ग्राम बाला, जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 खसरा नम्बर 765 ग्राम बाला, जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 खसरा नम्बर 733 ग्राम बाला, जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 खसरा नम्बर 764 ग्राम बाला, रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.06.1974 नेथीराम बहक ढगलाराम, म्यूटेशन संख्या 264, 79, 91 ग्राम बाला, वादी का आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैक डायरी, ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटो प्रति, जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 1255, 1276, 659, 701/1, 738 ग्राम बाला इत्यादि आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:59 IST
Reason: SelfAttested

ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम ढगलाराम पुत्र मोतीराम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी ढगलाराम पुत्र केसाराम नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम केसाराम के स्थान पर मोतीराम की घोषणा/दुरूस्ती कराना चाहता है। वादी का वाद अखण्डित रहा, क्योकि प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया इसलिये वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी का दावा स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा के खसरा संख्या 733 रकबा 2.2086 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 765 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.6082 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार ढगलाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर ढगलाराम पुत्र मोतीराम की दुरूस्त व घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:59 IST
Reason: SelfAttested

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
कैम्प कोर्ट बाला

व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी          बनाम          प्रतिवादी

ढगलाराम पुत्र स्व. मोतीराम
जाति सीरवी निवासी ग्राम
बाला तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट**

राजस्व वाद संख्या :– 12/2021

निर्णय          दिनांक :– 27.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा के खसरा संख्या 733 रकबा 2.2086 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 764 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 765 रकबा 0.7362 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.6082 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार ढगलाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर ढगलाराम पुत्र मोतीराम की दुरूस्त व घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2021 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा इजराय का जो वसूल हुआ हो का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:59 IST
Reason: SelfAttested